

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(8)नि.प्र./2011-12/359

दिनांक : 24-11-11

### —: परिपत्र :—

राज्य सरकार के निर्णयानुसार महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 के लेखों के अंकेक्षण कार्य दिनांक 14.02.2011 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

समय-समय पर जांच दल द्वारा अंकेक्षण कार्य के लिए वांछित रिकार्ड/सूचनाएं मांगी जा रही है। लेकिन खेद है कि जांच दल को चाहा गया रिकार्ड/सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराने से अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ने गम्भीरता से लेते हुए वांछित रिकार्ड तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किए हैं।

अतः सभी संबंधित को आगाह किया जाता है कि महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षण जांच दल को त्वरित गति से वांछित रिकार्ड/सूचनाएं तीन दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा किसी भी लापरवाही के लिए सीसीए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

७६

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव - अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव - आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-I/II/III/पी.एण्ड.एम., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त ....., राजस्थान आवासन मण्डल
8. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड ....., राजस्थान आवासन मण्डल
9. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी (मुख्यालय) A.C.P. - ..... मण्डल की Website पर उपलब्ध।

७६

आवासन आयुक्त